न्यायालय सहायक कलक्टर (ACEM), नाथद्वारा, जिला–राजसमंद

(पीठासीन अधिकारी :–श्रीमति रक्षा पारिक,R.A.S.)

प्रकरण संख्या:– 2024/64 राजस्व वाद　　　　　　　　निर्णय दिनांक– 10.09.2025

अनवान

1. केसर बाई उर्फ दोली पुत्री पोखर जी पत्नि सोहनलाल जी, जाति कुम्हार, आयु 60 वर्ष, निवासी–टांटोल, हाल निवासी–गुडला,धांयला, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमंद। .... वादी

बनाम

1. मांगीलाल पिता पोखर जी, जाति कुम्हार, आयु वयस्क, निवासी–टांटोल, तहसील खमनोर, जिला राजसमंद।
2. भंवरी बाई पत्नि पोखर जी, जाति कुम्हार, आयु वयस्क, निवासी–टांटोल, तहसील खमनोर, जिला राजसमंद।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब खमनोर, तहसील खमनोर, जिला राजसमंद। .... प्रतिवादीगण

वाद बाबत् घोषणा एवं ईन्द्राज दुरूस्ती अंतर्गत धारा 88 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट

उपस्थितः– अधिवक्ता श्री ख्यालीलाल नागदा, अधिवक्ता वादी।

अधिवक्ता श्री मनमोहन पालीवाल, अधिवक्ता प्रतिवादीगण।

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीया द्वारा वाद बाबत् घोषणा एवं ईन्द्राज दुरूस्ती प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि राजस्व ग्राम टांटोल, पटवार हल्का टांटोल, तहसील खमनोर, जिला राजसमंद में वादीया एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त सामलाती, कृषि भूमियां स्थित है जिसका विवरण इस प्रकार है–

परिशिष्ट अ खाता संख्या नया 239 पुराना 244 में वर्णित आराजीयात् खसरा संख्या 290,291,294,295 कुल किता 04 कुल रकबा 0.2655 हैक्टेयर

उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में वादीया का 1/3 हिस्सा जाति कुम्हार प्रजापति सा.देह खातेदार के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है।

परिशिष्ट ब खाता संख्या नया 206 पुराना 218 में वर्णित आराजीयात् खसरा संख्या 2790,845,846,847 कुल किता 04 कुल रकबा 0.1517 हैक्टेयर

उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में वादीया का 1/9 हिस्सा जाति कुम्हार प्रजापति सा.देह खातेदार के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है।

वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 02 के खानदान का सजरा निम्न प्रकार है:–

पोखर

मांगीलाल	केसर उर्फ दोली	भंवरी बाई
(पुत्र)	(पुत्री)	(पत्नि)

उपरोक्त विवरण की कृषि भूमि पूर्व में पोखर पिता गोपा जी जाति कुम्हार के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी तथा उनकी मृत्यु के पश्चात् विरासत से वादीया एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 से 02

सहायक कलक्टर
नाथद्वारा, जिला–राजसमन्द

के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई परन्तु वादीया को घर एवं गांव में दोली के नाम से जाना एवं पहचाना जाता था इसलिये वक्त विरासत नामान्तरण पारित कराते समय वादीया का नाम राजस्व रेकर्ड में दोली ही अंकित करा दिया जबकि वादीया का अन्य सभी दस्तावेज में केसर बाई नाम अंकित है जो वादीया राजस्व रेकर्ड में भी अपने नाम दस्तावेज के आधार पर केसर बाई अंकित कराना चाहती है तथा इसी आशय की घोषणा कराने की अधिकारी है। वाद की कलम संख्या 01 में वर्णित कृषि भूमियों में वादीया का नाम दोली पिता पोखर जी अंकित है जबकि वादीया का नाम केसर बाई पुत्री पोखर जी है। उक्त नामों को लेकर भविष्य में कोई विवाद नहीं हो तथा दस्तावेज एवं राजस्व रेकर्ड में अलग-अलग नाम नहीं हो इसलिये वादीया राजस्व रेकर्ड में भी अपना नाम दोली पुत्री पोखर के बजाय केसर बाई पुत्री पोखर जी अंकित कराने की अधिकारी है तथा इसी आशय की ईन्द्राज दुरुस्ती कराने की भी अधिकारी है। वाद की कलम संख्या 01 में वर्णित राजस्व ग्राम टांटोल के परिशिष्ट अ एवं ब में वर्णित कृषि भूमि में वादीया का नाम दोली पुत्री पोखर अंकित है जबकि वादीया का सही एवं वास्तविक नाम केसर बाई पुत्री पोखर बाई है इसलिये वादीया अपने उपरोक्त खातों में अपने गलत नाम दोली पुत्री पोखर के बजाय अपना सही नाम केसर बाई पुत्री पोखर अंकित कराना चाहती है तथा राजस्व रेकर्ड में इसी अनुसार घोषित कराने का अधिकारी है तथा घोषित होने के उपरांत राजस्व रेकर्ड में ईन्द्राज कराने का भी अधिकारी है। वाद कारण दिनांक 12.02.2024 को उत्पन्न हुआ जब वादीया ने जमाबंदी की नकल प्राप्त कर पीएम किसान योजना में फार्म भरने हेतु ई-मित्र पर गई तो ई-मित्र वाले ने कहां कि आपके आधार कार्ड से जमाबंदी का नाम मिलान नहीं हो रहा है इसलिये आपको पीएम किसान की योजना का लाभ नहीं मिलेगा इसलिये आप पहले कोर्ट से अपने नाम को सही कराने के पश्चात् ही आपको पीएम किसान योजना का लाभ मिल सकता है इसलिये वाद कारण उत्पन्न होकर लगातार जारी है। वाद में वर्णित प्रतिवादी संख्या 01 व 02 एक ही परिवार के सदस्य होने से उन्हें पक्षकार बनाया गया है। उनके विरूद्व वाद में कोई प्रतिकार नहीं चाहा गया है।

अतः प्रार्थना है कि वादीया के पक्ष में इस आशय की घोषणा की डिक्री पारित फरमाई जावें कि वाद पत्र कि कलम सख्यां 01 में वर्णित राजस्व ग्राम टांटोल के परिशिष्ट अ एवं ब में वादीया के गलत नाम दोली पिता पोखर के बजाय अपना सही नाम केसर बाई पुत्री पोखर घोषित फरमाया जावें तथा तद्नुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने की आज्ञा प्रदान कराई जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन/नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 एवं 02 स्वंय उपस्थित एवं उनकी ओर से अधिवक्ता श्री मनमोहन पालीवाल उपस्थित होकर स्वीकारोक्ति का जवाब एवं राजीनामा प्रस्तुत कर निवदेन किया कि वादीया केसरबाई उर्फ दोली एवं हम प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है आपस में भाई-बहन एवं पुत्री है। वादीया केसर बाई उर्फ दोली मुझ प्रतिवादी संख्या 01 की सगी बहन है तथ्ज्ञा मुझ प्रतिवादी संख्या 02 की जाईन्दा पुत्री है। वादीया को घर एवं गांव में केसरबाई व दोली दोनों नाम से जान व पहचानी जाती है। दोनों नाम से एक ही है। वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद घोषणा एवं ईन्द्राज दुरूस्ती का आप न्यायालय द्वारा स्वीकार कर डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है। प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य होने से तहसीलदार खमनोर से तथ्यात्मक रिपोर्ट ली जाना उचित प्रतीत होता है। तहसीलदार खमनोर से तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार खमनोर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार भी केसरबाई पुत्री पोखर व दोलीबाई पुत्री पोखर जाति कुम्हार एक ही व्यक्ति है। तथ्यात्मक रिपोर्ट शामिल पत्रावली की गई। अधिवक्ता पक्षकारान् द्वारा की गई बहस सुनी गई।

अधिवक्ता पक्षकारान् द्वारा की गई बहस पर चिंतन एवं मनन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों कार्यालय ग्राम पंचायत टांटोल द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 14.02.2024 , वादीया के आधार कार्ड की छायाप्रति एवं कार्यालय तहसीलदार खमनोर द्वारा प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट एवं प्रस्तुत राजीनामा, वादीया एवं प्रतिवादीगण के पारिवारिक सजरे के अवलोकन से वादीया केसर बाई उर्फ दोली एक ही होने से वादीया का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः आदेश सुनाया जाता है:-

सहायक कलक्टर
नाथद्वारा, जिला-राजसमन्द

—: आदेश :—

परिमाणतः वादीया का वाद अंतर्गत घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती का स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम टांटोल, पटवार हल्का टांटोल, तहसील खमनोर, जिला राजसमंद की जमाबंदी संवत् 2076—2076 के खाता संख्या नया 239 पुराना 244 में वर्णित आराजीयात् खसरा संख्या 290,291,294,295 कुल किता 04 कुल रकबा 0.2655 हैक्टेयर एवं खाता संख्या नया 206 पुराना 218 में वर्णित आराजीयात् खसरा संख्या 2790,845,846,847 कुल किता 04 कुल रकबा 0.1517 हैक्टेयर में वादीया दोली पुत्री पोखर के गलत नाम के बजाय वादीया का नाम केसरबाई पुत्री पोखर राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने की स्वीकृति दी जाती है। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो। डिक्री पर्चा पृथक् से जारी होकर। पत्रावली फैसल शुमार होकर। नबंर से कम होकर। दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 10.09.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर। न्यायालय की गोल मोहर द्वारा जारी किया गया।

सहायक कलक्टर नाथद्वारा, जिला-राजसमन्द

(रक्षा पारिक, **RAS**)

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट नाथद्वारा

सहायक कलक्टर

नाथद्वारा, जिला-राजसमन्द

संख्याक नं. 1

मूल वाद में डिक्री (आदेश 20 नियम 6 व 7)

(Civil Procedure Code Appendix D)

न्यायालय सहायक कलक्टर (ACEM), नाथद्वारा, जिला–राजसमंद

पीठासीन अधिकारी :–श्रीमति रक्षा पारिक,**R.A.S.**

प्रकरण संख्याः– 2024 / 64 राजस्व वाद

अनवान

1. केसर बाई उर्फ दोली पुत्री पोखर जी पत्नि सोहनलाल जी, जाति कुम्हार, आयु 60 वर्ष, निवासी–टांटोल, हाल निवासी–गुडला,धांयला, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमंद।

.... वादी

बनाम

1. मांगीलाल पिता पोखर जी, जाति कुम्हार, आयु वयस्क, निवासी–टांटोल, तहसील खमनोर, जिला राजसमंद।
2. भंवरी बाई पत्नि पोखर जी, जाति कुम्हार, आयु वयस्क, निवासी–टांटोल, तहसील खमनोर, जिला राजसमंद।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब खमनोर, तहसील खमनोर, जिला राजसमंद।

.... प्रतिवादीगण

वाद बाबत् घोषणा एवं ईन्द्राज दुरूस्ती अंतर्गत धारा 88 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट

उपस्थितः– अधिवक्ता श्री ख्यालीलाल नागदा, अधिवक्ता वादी।

अधिवक्ता श्री मनमोहन पालीवाल, अधिवक्ता प्रतिवादीगण।

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू मेरे हाजरी वादीया मय अधिवक्ता श्री ख्यालीलाल नागदा एड. मिनजानिब मुदई व अधिवक्ता श्री मनमोहन पालीवाल मुहायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है किः–

वादीया का वाद अंतर्गत घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती का स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम टांटोल, पटवार हल्का टांटोल, तहसील खमनोर, जिला राजसमंद की जमाबंदी संवत् 2076–2076 के खाता संख्या नया 239 पुराना 244 में वर्णित आराजीयात् खसरा संख्या 290,291,294,295 कुल किता 04 कुल रकबा 0.2655 हैक्टेयर एवं खाता संख्या नया 206 पुराना 218 में वर्णित आराजीयात् खसरा संख्या 2790,845,846,847 कुल किता 04 कुल रकबा 0.1517 हैक्टेयर में वादीया दोली पुत्री पोखर के गलत नाम के बजाया वादीया का नाम केसरबाई पुत्री पोखर राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने की स्वीकृति दी जाती है। तद्नुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो। नीज.....–...... मुबलिज –.....–...... बाबत् –.....–... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शहर –.. ...–....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक –....–... को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 10.09.2025 को खुले न्यायालय में जारी की गई।

सहायक कलक्टर नाथद्वारा, जिला-राजसमन्द

(रक्षा पारिक, **RAS**)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
नाथद्वारा

सहायक कलक्टर
नाथद्वारा. जिला-राजसमन्द

मुदई	रूपया पैसा	मुदयलह	रूपया पैसा
स्टाम्प अर्जीनामा		स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा		स्टाम्प हाजरी	
स्टाम्प वजह सबूत		मेहनताना वकील पर	
मेहनताना वकील		खर्चा गवाहान्	
खर्चा गवाहान्		फीस कमिश्नर	
फीस कमिश्नर		बबत् इजराय हुक्मनामा	
बबत् इजराय हुक्मनामा		मुतफरिक	
मुतफरिक		मिलान	
मिलान			

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करने चाहिए।

(रक्षा पारिक, **RAS**)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
नाथद्वारा
सहायक कलक्टर
नाथद्वारा. जिला-राजसमन्द